भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2790
जिसका उत्तर बुधवार, 11 मार्च, 2020 को दिया जाना है

भारतीय न्यायिक सेवा

2790. श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायाधिकरण और विशेष अदालतों के लिए भारतीय न्यायिक सेवाओं को लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ख) न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक बनने की संभावना है ; (ग) क्या सरकार का एक ऐसा कानून लाने का विचार है जो 4मूल अंग्रेजी में 598 लंबित मामलों पर निर्णय देने और न्यायपालिका में मौजूद कथित भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए न्यायालयों को एक समय-सीमा प्रदान करेगा ;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सीएलएटी)आयोजित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ख) : सरकार के विचार में, सम्पूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को सुदृढ करने के लिए एक उचित रुप से बनाई गई अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आवश्यक है । यह अखिल भारतीय योग्यता चयन प्रणाली के माध्यम से चयनित उपयुक्त योग्य नए विधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों के प्रवेश के अवसर के साथ-साथ समाज के गरीब और वंचित वर्ग का उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुकर बनाकर समाज में समावेशन के मुद्दे का भी समाधान करेगा ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए आई जे एस) की स्थापना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव बनाया गया है और उसे नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। देश में कुछ सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अलावा, यह न्यायपालिका में गरीब वर्ग तथा महिलाओं में से सक्षम व्यक्तियों के सम्मिलित किए जाने को सुकर बनाएगी। अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को कार्यसूची मद के रुप में सम्मिलित किया गया और यह विनिश्चय किया गया था कि इस मुद्दे पर विचार और विमर्श तथा

मनन करने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार मांगे गए थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना पर राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के बीच मत भिन्नता थी। जबकि कुछ राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, किन्तु कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के पक्ष में नहीं थी, जबकि कुछ अन्य केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती थीं।

सिक्किम और त्रिपुरा उच्च-न्यायालय अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से सहमत हैं। इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों ने भर्ती के स्तर पर आयु, अर्हताओं, प्रशिक्षण तथा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के कोटा में परिवर्तन का सुझाव दिया। शेष उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। अधिकतर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयों के पास ही रखना चाहते हैं। झारखंड और राजस्थान उच्च न्यायालयों ने इंगित किया है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन से संबंधित विषय विचाराधीन है। कलकत्ता, जम्मू-कश्मीर और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड और पंजाब की राज्य सरकारें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के पक्ष में नहीं हैं। महाराष्ट्र की राज्य सरकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग (जे एम एफ सी) के स्तर से भर्ती चाहती है, जो भारत के संविधान में सम्मिलित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के उपबंधों के अनुरुप नहीं है। बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा और उत्तराखंड की राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में परिवर्तन चाहती हैं। हरियाणा की राज्य सरकार ने कथन किया है कि प्रस्ताव न्यायोचित प्रतीत होता है। मिजोरम की राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं के समान ही अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का समर्थन किया है। जम्मू-कश्मीर राज्य की तत्कालीन सरकार ने उल्लिखित किया है कि 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन हेतु भारत के संविधान के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते हैं। शेष राज्यों से अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती में सहायता हेतु तथा सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन से संबंधित मामला भी मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन की जो 03 और 04 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया, कार्यसूची में सम्मिलित किया गया, जिसमें त्वरित ढंग से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु रिक्तियों को भरने के लिए विद्यमान व्यवस्था में समुचित पद्धति विकसित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को ही निर्णय करने हेतु स्वतंत्रता देने का संकल्प किया गया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना हेतु प्रस्ताव, उस पर प्राप्त उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों के विचारों के साथ, 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था । तथापि, इस विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने हेतु प्रस्ताव, 16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य तथा विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पात्रता, आयु, चयन मानदण्ड, अर्हता, आरक्षण आदि बिन्दुओं पर पुन: चर्चा की गई। पणधारियों के बीच विद्यमान मत भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार साझा सहमति तक पहुंचने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में लगी हुई है।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) : जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता है।

****